सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 29, मंगलवार, *शाके* 1945-मार्च 19, 2024
Phalguna 29, Tuesday , Saka 1945- March 19 , 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़, जिला-चूरू

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 का उपनियम -(1) देखें।

प्रारम्भिक अधिसूचना

चूरू, मार्च 15, 2024

संख्या 6149676 :-

राजस्व ग्राम - पड़िहारा, तहसील- रतनगढ़ जिला-चूरू

अनुसूची

क्रं. सं.	सर्वेक्षण (खसरा संख्या)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के तहत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण	संरचनाओं का विवरण
							उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1.	1398/549	0.9991	निजी	गै. मु. उद्योग	0.0729	1 खेताराम पुत्र जीवनराम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार 2. सुनिल कुमार पुत्र देवानन्द हिस्सा 1/2 जाति डाकोत निवासी उदरासर	547, 548	851	543	1399/549	3	-
2.	1684/542	1.0750	निजी	बा. अबबल	0.2235	1. अनिस पुत्र राकेश कुमार 2. अरिहन्त पुत्र छतरसिंह 3. कमलसिंह	540	563	541	543, 851	2	-

						पुत्र सुरजमल 4. मनोज कुमार पुत्र सुरजमल 5. सिद्धार्थ पुत्र निर्मल कुमार						
3.	1381/793	0.5186	निजी	बा. अ बब ल	0.0264	1. पाबुदानसिंह पुत्र सुगनसिंह	563	851	1381/973	851	-	-
4.	1685/542	0.0885	रास्ता	गै. मु. रा स्ता	0.0038	1.अनिस पुत्र राकेश कुमार 2. अरिहन्त पुत्र छतर सिंह 3. कमल सिंह पुत्र सुरजमल 4. मनोज कुमार पुत्र सुरजमल 5. सिद्धार्थ पुत्र निर्मल कुमार	1684/542	563	557	1682/541	-	-
कुल प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि 0.3270					0.3270							

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़, जिला-चूरू

(अतंर्गत भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

अधिसूचना

चूरू, मार्च 15, 2024

संख्या 614999 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02, दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार पड़िहारा गांव में सुजानगढ़-रतनगढ़ रेल्वे सैक्शन पर स्थित सम्पार (स्ब्) 14। रेल्वे कि.मी. 347/1-2 पर आर.ओ.बी. निर्माण के प्रयोजन से जिला चूरू की तहसील रतनगढ़ में निम्नानुसार प्रभावित गांव में भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क्रम संख्या	राज्य	जिला	तहसील	राजस्व-ग्राम/नगर का नाम
1	राजस्थान	चूरू	रतनगढ़	पड़िहारा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "सामाजिक आर्थिक विकास समिति, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-रतनगढ़ (राजस्थान)" एजेंसी का चयन किया गया है।

उपर्युक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी, जिसकी कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण/सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड रतनगढ़ (राजस्थान)
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सामाजिक आर्थिक विकास समिति
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड रतनगढ़ (राजस्थान)

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थानए जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।